



गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)
विकास पथ, गाज़ियाबाद

“सार्वजनिक सूचना”

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स इंट्रास फार्मास्यूटिकल्स लि० के अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सचिन जैन द्वारा खसरा संख्या-51/1, एवं 55 ग्राम डिडोली, तहसील-मोदीनगर, जिला-गाज़ियाबाद के क्षेत्रफल 22331.00 वर्ग मी० भूमि पर वेयर हाउसिंग की ईकाई स्थापना हेतु ऑन लाइन पोर्टल पर मानचित्र आवेदन संख्या-GDA/BP/26-27/0043 प्रस्तुत किया गया है। गाज़ियाबाद महायोजना-2031 के अनुसार खसरा संख्या-54/1 व 55 का भू-उपयोग कृषि के अन्तर्गत दर्शित है। गाज़ियाबाद महायोजना-2031 एवं मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के अनुसार कृषि भू-उपयोग पर “वेयर हाउस की क्रिया” सशर्त अनुमत्य है, जिसके अनुसार पहुँच मार्ग न्यूनतम 7.00 मी० चौड़ा मार्ग होना आवश्यक है। पत्रावली में उपलब्ध पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से प्राप्त पत्र दि० 13.11.2024 के अनुसार स्थल पर 12.80 चौड़ा मार्ग पर विद्यमान है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य आपत्ति/सुझाव 15 दिन की अवधि में प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त के प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर नियोजक

ई-मेल: helplinegda@gmail.com, **f**: @gdagzb, **t**: @gdagzb

हैल्पलाइन: 0120-3342433/व्हाट्सैप नं: 9818988807, वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर..... हमारा संकल्प